न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 226/2026
परिवाद वाद संख्या– 2679सी/2008

रजाबुल.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

09-04-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक/अभियुक्त रजाबुल की ओर से परिवाद वाद संख्या 2679सी/2008, अंतर्गत धारा 498(A), 379, 323 भा0द0वि0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 19.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 जब्बार हुसैन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद परिवादिनी हमीदा खातून के अनुसार यह है कि उसकी शादी अभियुक्त रजाबुल के साथ वर्ष 2006 में हुई है। शादी में अभियोगिनी के माता–पिता द्वारा घरेलू सामान लगभग 30,000 रूपया का एवं जेवर–जेवरात दिया गया था। अभियुक्तगण दहेज से खुश नहीं हुआ और कहने लगे कि धेनु भैंस एवं नगद 11,000 रूपया देने की बात थी, क्यों नहीं दिया। दहेज के लिए अभियोगिनी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। अभियुक्तगण परिवादिनी से जेवर छिन लिया और घर से धक्का देकर भगा दिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। अभियुक्त को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतया गलत व आधारहीन है। आवेदक परिवादिनी का पति है। आवेदक कभी भी परिवादिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया है। उभय पक्षों के बीच समझौता हो गया है। आवेदक इस वाद में दिनांक 19.

02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पूर्व में जमानत पर था। अभिलेख आरोप हेतु नियत था तथा अभियुक्त निश्चित तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनका बंध–पत्र खंडित करके अजमानतीय अधिपत्र व धारा 82 द0प्र0सं0 आदि जारी किया गया है। अभियुक्त को फरार घोषित किया जा चुका है। उनके द्वारा 09 वर्ष के पश्चात आत्म–समर्पण किया गया है। आवेदक दिनांक 19.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का यह प्रथम उपस्थिति है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि वह वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि पर सदेह उपस्थित रहेगा, यदि एक तिथि पर वह अनुपस्थित रहता है, तो संबंधित न्यायालय उसका बंध–पत्र खंडित करने के लिए स्वंतत्र होगी तथा कम से कम एक जमानतदार उसके परिवार का सदस्य होगा। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।